पत्रांक : 6202 / उ.सू.आ. / 2013–14
दिनांक : 21 / 05 / 2013

प्रिय

विभिन्न राजकीय समारोह में यह देखने में आया है कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के लिए प्रोटोकॉल व्यवस्था में उनके पद के अनुरूप व्यवस्था नहीं की जाती है जिससे कई अवसरों पर असमंजस की स्थिति पैदा हुयी है तथा अधोहस्ताक्षरी एवं राज्य सूचना आयुक्तों के लिए ऐसे समारोहों में आमंत्रित किये जाने पर उपस्थित होने की दुविधा होती है. इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने अ.शा. पत्रांक 434 दिनांक 14 / 01 / 2013 के माध्यम से तत्कालीन मुख्य सचिव को भी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया था, परंतु इस संबंध में शासन स्तर से आयोग को कृत कार्यवाही की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है.

2. आप अवगत ही हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 16(5) के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त को भारत निर्वाचन आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को मुख्य सचिव के समकक्ष रखा गया है. उनके अपने अधिनियम में भारत निर्वाचन आयुक्त की समकक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से है. अतः इस प्रकार मुख्य सूचना आयुक्त की समकक्षता भी उसी पद से हो जाती है क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त को सूचना का अधिकार अधिनियम में भारत निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष रखा गया है.

3. आपसे अनुरोध है कि भविष्य में राजकीय समारोहों तथा अन्य औपचारिक अवसरों पर प्रोटोकॉल व्यवस्था करते समय उक्त प्राविधान को ध्यान में रखते हुये मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के पद की गरिमा के अनुरूप ही व्यवस्था करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा इस हेतु प्रोटोकॉल सम्बंधी स्पष्ट औपचारिक आदेश भी जारी करने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून